



केरळीय विद्युत विनियोगक आयोग

नमीला एवं यांत्री तल, जनरल्स पार्किंग, १४ अक्टूबर का निम्नी १०३०६
सौन्दर्य व्यवस्था, २३१५७७८

याचिका सं. 213 / टीडी / 2022 दिनांक: 19 अक्टूबर, 2022

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की आरा 15 की उप आरा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

1. संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतर्राजिक व्यापार के लिए श्रेणी-III अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदन विजेन्युजल परस्लेट सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चन्द्रपथ, ६००, तपोवन, अंदायाली, जहानाबाद-२८० ०१५, गुजरात द्वारा आयोग के समझ किया गया है।
2. विजेन्युजल परस्लेट सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अंतर्राजिक व्यापार अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदक हुआ आयोग के समझ किए गए अनुबंध एवं अनुलालकी सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.togovernorpower.com में देखा जा सकता है या निर्वाचित कियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय ने दिल्ली समिति द्वारा निरीकित किया जा सकता है।
3. एकाहं पर उपलब्ध सामग्री के लाभार पर, आयोग संदर्भ है कि प्रथम दृष्टि आवेदक विद्युत में अंतर्राजिक व्यापार के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए अहंक है और दिनांक 19.10.2022 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतर्राजिक व्यापार को लिए आवेदक को श्रेणी-III में अनुदान प्रदान करने का प्रत्याप किया है।
4. नोटिस अधिनियम लो आरा 15 की उपरा (5) के खंड (क) के अनुसरण ने दिया गया है कि उद्दा को अनुसार, आवेदक लो विद्युत में अंतर्राजिक व्यापार के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए आयोग के प्रत्याप ने सुझावों या आपत्तियों या कोई है, को उद्दा पते पर 11.11.2022 तक अधीक्षतात्त्वी को गेजा जाए विनिर्दिष्ट तरीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आयोग ने 17.11.2022 को अंतिम निष्ठान के लिए आवेदन को निर्वाचित किया है और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों लो दाखिल करता है, वह हाजूनवाही में अपने स्वदिवेष से उपस्थित रह जाता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टोर/हीर नहीं दिया जाएगा।

उल्लेख/
(इसीक लिए दृढ़ी
सापि)